तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसिशियल्स जज
13-12-22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने पूर्व पेशी दिनांक 29-9-22 को साक्ष्यशपथपत्र पेश किया था जो पत्रावली पर है। वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस वाद-पत्र सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादिया का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील कार्यालय दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी राज0

वाद संख्याः– 3/दावा/20

पीठासीन अधिकारी
(युगांतर शर्मा RAS)

श्रीमती इन्द्रा बाई आयु 48 वर्ष पत्नी श्री जयकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

वादीनी

बनाम

1. श्रीमती किशकन्दा बाई आयु 45 वर्ष पत्नी जवाहरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
2. मनीष आयु 25 वर्ष आत्मज जवाहरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
3. सुनील आयु 23 वर्ष आत्मज जवाहरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
4. हेमन्त आयु 21 वर्ष आत्मज जवाहरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
5. अनुराधा आयु 19 वर्ष पुत्री जवाहरीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0
6. प्रहलाद आयु 62 वर्ष आत्मज श्री रामचन्द्र जी जाति मीण निवासी ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधिनियम
उपस्थितः– श्री राजेन्द्र जैन(एडवोकेट)

निर्णय

दिनांकः–13.12.2022

वादीनी ने वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लबान में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

809/1 रकबा 1.09 है0 स्थित है। जिसकी वादीनी खातेदार कब्जा काश्त चली आ रही है। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि में गेहूं की फसल बोई है।प्रतिवादीगण वादीनी के पारिवारिक रिश्तेदार हैं जो वादीनी से द्वेषता रखते हैं। वाद वर्णित आराजी के आस–पास आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। वादीनी फसल की सुरक्षा हेतु अपनी खातेदारी कषि भूमि पर काश्त फसल की सुरक्षा हेतु दिनांक 16.12.2019 को खेत के पूर्वी एवं अन्य दिशाओं में तार बंदी करने बाबत् खड्डे खोद रही थी। प्रतिवादीगण ने वादीनी को तार बंदी करने से मना कर दिया गया तथा धमकी दी कि अगर तूने तार बंदी करने की कोशिश की तो तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे तेरा यहां कोई खेत नहीं है। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादीनी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा करें और अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीनी के खेत के चारों ओर जानवरों से फसल की सुरक्षा के लिए तार बंदी करने से नहीं रोके फसल काटने उपयोग/उपभोग लेने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

वादीनी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व 5, 6 बावजूद सूचना तामिल नोटिस अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 21.07.2022 को एक पक्षीय कार्यावाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 बावजूद सूचना तामिल नोटिस अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 16.08.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीनी के विद्धवान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीनी के अधिवक्ता ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों का दुहराव किया व राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 809/1 रकबा 1.09 हैक्टेयर की वादीनी एक मात्र खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का भूमि पर किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं है तथा प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद तामिल सम्मन कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नहीं किया गया। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित कथन व प्रस्तुत शपथ पत्र को सत्य नहीं मानने का कोई कारण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

प्रतीत नहीं होता है विवादित आराजी खसरा सं0 809/1 रकबा 1.09 है0 ग्राम लबान की खातेदार काश्तकार होने से एवं प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कोई कानूनन हक अधिकार नहीं होने से वादीनी का वाद–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीनी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीनी की ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा सं0 809/1 रकबा 1.09 है0 सम्पूर्ण पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि करावें वादिया को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में फसल की सुरक्षा हेतु खसरा सं0 809/1 की रकबा 1.09 है0 की राजस्व नक्शे अनुसार सीमा में तारबंदी/बाडाबंदी करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम..........................लाखेरी..................व इजलास.......................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1 इन्द्रा बाई पत्नी जयकिशन जा0मीणा नि0 लवान तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 ।
(वादीनी)

बनाम

1 किशकन्दा पत्नी जवाहरीलाल जा0 मीणा नि0 लवान तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2 मनीष आ0 जवाहरीलाल जा0 मीणा नि0 लवान तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3 सुनील आ0 जवाहरीलाल जा0 मीणा नि0 लवान तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4 हेमन्त आ0 जवाहरीलाल जा0 मीणा नि0 लवान तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5 अनुराधा पुत्री जवाहरीलाल जा0 मीणा नि0 लवान तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
6 प्रहलाद आ0 रामचन्द्र जा0 मीणा नि0 लवान तह0 इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
(प्रतिवादीगण)

दावा बावत 188 आर0टी0एक्ट।...............................

मुकदमा नम्बर..................................3/दावा/2020..सन..
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुवरू...हमरे...
.............व हाजिरी
1.श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट(वादी)..।मिनजानिब मुद्दइ..
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीनी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वह वादीनी की ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि खसरा सं0 809/1 रकबा 1.09 है0 सम्पूर्ण पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि करावें वादिया को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में फसल की सुरक्षा हेतु खसरा सं0 809/1 की रकबा 1.09 है0 की राजस्व नक्शे अनुसार सीमा में तारबंदी/बाडाबंदी करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।
....निज.......................................मुबलिग...बाबत..............
..........खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..13.....माह.........12........... सन...2022.......................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर
ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी